

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)
जनपद आगरा में आगरा-भरतपुर मार्ग एन. एच.-11(न्यू एन. एच. -21) कि.मी. 42
(चैनेज-41.293) के खसरा संख्या 651 पर (रिलायंस बी पी मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल
आउट-लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1790312 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन
के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

17.	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	C= A... की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।
18.	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं।	

हस्ताक्षर :-

9/10

नाम Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
सरकारी मुहर :-

तिथि :- 9/10/2020

दिनांक :-